Drishti IAS

Mains MARATHON

(मुख्य परीक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर) 2024

सामाजिक न्याय

Delhi
Drishti IAS,
641, Mukherjee Nagar,
Opp. Signature View
Apartment, New Delhi

New Delhi
Drishti IAS,
21, Pusa Road,
Karol Bagh
New Delhi

Uttar Pradesh
Drishti IAS,
Tashkent Marg,
Civil Lines, Prayagraj,
Uttar Pradesh

Rajasthan
Drishti IAS,
Tonk Road,
Vasundhra Colony,
Jaipur, Rajasthan

Madhya Pradesh
Drishti IAS,
Building No. 12, Vishnu Puri,
Main AB Road,
Bhawar Kuan, Indore,
Madhya Pradesh

सामाजिक न्याय

Q1. भारत में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के क्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के महत्त्व पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में संक्षिप्त परिचय देते हुए अपने उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के महत्त्व की चर्चा कीजिये।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की कुछ चुनौतियों का भी उल्लेख कीजिये।
- तदनुसार निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) को वर्ष 2013 में समाज के सबसे कमजोर वर्गों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम को भारत में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाता है।

मुख्य भाग:

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का महत्त्व:

- **कवरेज:**
  - NFSA द्वारा 67% आबादी (ग्रामीण क्षेत्रों में 75% और शहरी क्षेत्रों में 50%) को सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्रदान किये जाते हैं।
  - यह अधिनियम भोजन के अधिकार को एक कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता देता है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे।
- **महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना:**
  - भारत में NFSA, भूख और कुपोषण को कम करने में सहायक रहा है। खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार, भारत में कुपोषित लोगों का प्रतिशत वर्ष 1990-92 के 23.8% से घटकर वर्ष 2015-17 में 14.8% रह गया है।
- **महिला सशक्तिकरण:**
  - इस अधिनियम द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न प्राप्त करने के उद्देश्य से महिलाओं को घरों का मुखिया बनाकर उन्हें सशक्त बनाया है।
- **भ्रष्टाचार में कमी लाना:**
  - NFSA सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार को कम करने और यह सुनिश्चित करने में सफल रहा है कि खाद्यान्न लक्षित लाभार्थियों तक पहुँचे।
- **खाद्य सुरक्षा भत्ता प्रदान करना:**
  - इसमें खाद्यान्न या भोजन की आपूर्ति न होने की स्थिति में पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा भत्ता देने का प्रावधान है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की चुनौतियाँ:

- **लाभार्थियों की पहचान:**
  - NFSA के तहत निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से लाभार्थियों की पहचान का प्रावधान किया गया है, लेकिन कार्यान्वयन के स्तर पर विभिन्न राज्यों में असमानता है।
  - इसमें पात्र परिवारों को लाभ से बाहर रखने और अपात्र परिवारों को इसमें शामिल करने से संबंधित मामले देखे गए हैं।
- **खरीद और वितरण:**
  - इस अधिनियम में सब्सिडी दरों पर लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण करने में सरकार की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
  - हालाँकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की दक्षता और आपूर्ति श्रृंखला में भ्रष्टाचार को लेकर चिंताएँ बनी रहती हैं।
- **खाद्यान्न की गुणवत्ता:**
  - सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खराब-गुणवत्ता वाले अनाज वितरित किये जाने की खबरें आई हैं, जिससे लाभार्थियों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ हो सकती हैं।
- **वित्तपोषण:**
  - केंद्र सरकार द्वारा इसके कार्यान्वयन हेतु धन का महत्त्वपूर्ण हिस्सा प्रदान किया जाता है लेकिन राज्यों को भी इसमें योगदान देना होता है।
  - कुछ राज्यों द्वारा अपने हिस्से के धन को देने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

निष्कर्ष:

NFSA ने समाज के सबसे कमजोर वर्गों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्रदान करके भारत में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अधिनियम द्वारा भूख और कुपोषण को कम करने में सफलता मिली है लेकिन इसके कवरेज का विस्तार करने और इससे वंचित पात्र लोगों को इसमें शामिल करने की आवश्यकता है।

Q2. गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 से संबंधित मुद्दे क्या हैं? इन मुद्दों को बताते हुए इनके समाधान हेतु उपाय सुझाइए। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- PCPNDT अधिनियम के बारे में बताते हुए अपना उत्तर प्रारंभ कीजिये।
- मुख्य भाग में इस अधिनियम से संबंधित मुद्दों का उल्लेख करते हुए इन्हें हल करने के उपाय सुझाइए।
- सकारात्मक बिंदुओं का उल्लेख करते हुए निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (PCPNDT) अधिनियम, 1994 को देश में कन्या भ्रूण हत्या के मुद्दे का समाधान करने तथा गिरते लिंगानुपात में सुधार के लिये लाया गया था।

इस अधिनियम द्वारा प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण तकनीकों के उपयोग पर रोक लगाने के साथ केवल वैध चिकित्सा उद्देश्यों तक ही प्रसव पूर्व निदान तकनीकों के उपयोग को सीमित किया गया है। हालाँकि पिछले वर्षों से इस अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित कुछ मुद्दों की पहचान की गई है, जिन्हें इसके प्रभावी कार्य संचालन हेतु हल करने की आवश्यकता है।

मुख्य भाग:

PCPNDT अधिनियम, 1994 से संबंधित मुद्दे:

- **पुलिस की संलिप्तता:**
  - इस अधिनियम में जहाँ तक संभव हो छापेमारी और जब्ती में पुलिस की भागीदारी को सीमित किया गया है लेकिन यह इसकी व्यावहारिक सीमाएँ हैं।
- **जाँच और गिरफ्तारी की शक्तियाँ:**
  - इस अधिनियम में उपयुक्त प्राधिकरण को जाँच करने और छापा मारने की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं लेकिन इन्हें गिरफ्तारी की शक्ति प्रदान नहीं की गई है।
  - इससे इस अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने में चुनौती आती है।
- **सजा की निम्न दर:**
  - PCPNDT अधिनियम के तहत सजा की कम दर होना, इसकी प्रमुख चिंताओं में से एक है। यह अपराधियों के प्रति मुकदमा चलाने तथा लिंग-चयन संबंधी गर्भपात को रोकने के क्रम में न्याय प्रणाली की विफलता को इंगित करता है।

इन मुद्दों के समाधान हेतु उपाय:

- **पुलिस प्रशिक्षण और समन्वय को मज़बूत करना:**
  - व्यावहारिकता आधारित पुलिस की भागीदारी को बढ़ाने के क्रम में पुलिस कर्मियों को PCPNDT अधिनियम के प्रावधानों के साथ इस संदर्भ में छापे मारने और कार्रवाई करने से संबंधित प्रक्रियाओं पर विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यक है।
  - इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के हेतु संबंधित अधिकारियों एवं पुलिस के बीच बेहतर समन्वय होना चाहिये।
- **संबंधित प्राधिकारियों को सशक्त बनाना:**
  - अपराधों की संज्ञेय प्रकृति के अनुरूप इस अधिनियम के तहत संबंधित प्राधिकारियों को गिरफ्तारी की शक्ति प्रदान करने से अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने की क्षमता में वृद्धि होगी।
  - इससे प्रवर्तन तंत्र को मजबूती मिलने के साथ इस संदर्भ में निवारक प्रभाव प्राप्त होंगे।
- **जाँच और सजा प्रक्रिया को मज़बूत बनाना:**
  - इस संदर्भ में जाँच और सजा प्रक्रिया में सुधार के प्रयास किये जाने चाहिये। PCPNDT अधिनियम के उल्लंघन से संबंधित मामलों के संदर्भ में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिये प्रशिक्षित जाँचकर्ताओं, फोरेंसिक सुविधाओं और कानूनी सहायता सहित पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिये।
- **इस संदर्भ में जागरूकता तथा संवेदनशीलता बढ़ाना:**
  - PCPNDT अधिनियम और इसके प्रावधानों के बारे में आम लोगों, स्वास्थ्य पेशेवरों तथा हितधारकों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देना महत्त्वपूर्ण है।
  - इस संदर्भ में संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करने से लैंगिक भेदभाव के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने में मदद मिल सकती है तथा लैंगिक समानता के महत्त्व पर प्रकाश डाला जा सकता है।

निष्कर्ष:

PCPNDT अधिनियम, 1994 लिंग-चयन संबंधी गर्भपात के मुद्दे को हल करने एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालाँकि इसके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु इससे संबंधित मुद्दों के समाधान की आवश्यकता है।

पुलिस की भागीदारी को तार्किक बनाने, जाँच और गिरफ्तारी की शक्तियों को स्पष्ट करने, दोषसिद्धि दर में सुधार करने तथा इस संदर्भ में जागरूकता बढ़ाने से इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा सकता है।

Q3. G20 की अध्यक्षता के आलोक में भारत की थीम, 'समावेशिता (Inclusivity)' है। भारत के शहरी केंद्रों को दिव्यांगों के और अधिक अनुकूल बनाने से संबंधित चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- **परिचय:** भारत की G20 अध्यक्षता की थीम और समावेशिता के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता की व्याख्या करते हुए अपने उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- **मुख्य भाग:** भारत के शहरी केंद्रों को दिव्यांगों के और अधिक अनुकूल बनाने से संबंधित चुनौतियों और अवसरों पर सहायक तथ्यों तथा उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिये।
- **निष्कर्ष:** आगे की राह बताते हुए निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

- भारत की G20 अध्यक्षता की थीम 'समावेशिता' है, जिससे समावेशिता और रचनात्मकता के प्रति देश की आकांक्षा प्रदर्शित होती है। भारत की G20 अध्यक्षता भी वसुधैव कुटुम्बकम या एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के मूल्य की पुष्टि करने के साथ वैश्विक कल्याण हेतु सामूहिक प्रयासों पर केंद्रित है।
- भारत में शहरी केंद्रों को दिव्यांगों के और अधिक अनुकूल बनाना एक चुनौती के साथ-साथ समावेशिता के दृष्टिकोण को प्राप्त करने का अवसर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 8 मिलियन दिव्यांग लोग पहले से ही शहरों में रहते हैं। यहाँ पर केवल 3% भवन ही शारीरिक रूप से दिव्यांग लोगों के लिये सुलभ हैं।

मुख्य भाग:

शहरी केंद्रों को दिव्यांगों के और अधिक अनुकूल बनाने से संबंधित चुनौतियाँ:

- दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और आवश्यकताओं के बारे में विभिन्न हितधारकों के बीच जागरूकता और संवेदनशीलता का अभाव होना।
- शहरी क्षेत्रों में दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या, प्रकार और स्थितियों के बारे में पर्याप्त डेटा और जानकारी का अभाव होना।
- शहरी नियोजन, विकास और सेवा वितरण में शामिल विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों के बीच समन्वय का अभाव होना।
- अभिगम्यता मानकों और दिशानिर्देशों को डिज़ाइन करने, लागू करने तथा निगरानी करने के लिये पर्याप्त वित्तीय संसाधनों तथा तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव होना।
- निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और शासन प्रणाली में दिव्यांग व्यक्तियों और उनके संगठनों की भागीदारी और प्रतिनिधित्व का अभाव होना।

शहरी केंद्रों को दिव्यांगों के और अधिक अनुकूल बनाने से संबंधित अवसर:

- दिव्यांगों हेतु सक्षम वातावरण विकसित करने तथा इनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिये प्रौद्योगिकी और ICT का लाभ उठाना। उदाहरण के लिये इन्हें सेवाएँ प्रदान करने हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करना, सहायक उपकरण प्रदान करना, ऑडियो-विज़ुअल सिग्नल प्रणाली स्थापित करना आदि।
- दिव्यांग व्यक्तियों के आवागमन तथा कार्यस्थल, शिक्षा, खेल तक इनकी पहुँच स्थापित करने हेतु सुलभ बुनियादी ढाँचे में निवेश करना। उदाहरण के लिये ऐसे रैंप, लिफ्ट, शौचालय एवं रास्ते आदि का निर्माण करना जो विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं के अनुकूल हों।
- दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और सम्मान के बारे में जागरूकता के प्रसार के साथ इनके प्रति सम्मान को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न हितधारकों के व्यवहार परिवर्तन और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना। उदाहरण के लिये अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं, नियोक्ताओं, शिक्षकों आदि को संवेदनशील बनाने के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम, अभियान, कार्यशाला आदि का आयोजन करना।
- ऐसी समावेशी नीतियों और कानूनी ढाँचे को लागू करना जिससे विकलांग व्यक्तियों की रक्षा होने के साथ उनका सशक्तिकरण हो तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। उदाहरण के लिये दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 को लागू करना, जिसके तहत सार्वजनिक भवनों और परिवहन में दिव्यांग व्यक्तियों हेतु सुलभता मानकों को अनिवार्य किया गया है।
- विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन और विकास के एजेंट के रूप में दिव्यांग व्यक्तियों की क्षमता और योगदान का उपयोग करना।

निष्कर्ष:

भारत को पूरी तरह से समावेशी और सुलभ बनाने हेतु सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों द्वारा विभिन्न स्तरों पर सहयोगात्मक पहल करने की आवश्यकता है। इससे शहरी क्षेत्रों के सतत भविष्य की दिशा में तार्किक नीतियों और प्रणालियों को लागू करने में सहायता मिलेगी।

Q4. नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार कौन हैं? नि:शुल्क कानूनी सहायता के प्रतिपादन में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की भूमिका का आकलन कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत में नि:शुल्क कानूनी सहायता की अवधारणा को संक्षेप में पेश करते हुए शुरुआत कीजिये और उल्लेख कीजिये कि यह अनुच्छेद 39A के तहत संविधान द्वारा प्रदान किया गया निदेशक सिद्धांत है।
- चर्चा कीजिये कि भारत में निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार किसे है, साथ ही नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के संदर्भ में NALSA की भूमिका एवं महत्त्व को समझाइये?
- आप भविष्योन्मुखी वक्तव्य या कॉल टू एक्शन के साथ निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

निशुल्क कानूनी सहायता का अर्थ समाज के कमज़ोर वर्गों को बिना किसी शुल्क या मामूली लागत पर कानूनी सेवाएँ प्रदान करना है। अनुच्छेद 39A राज्य को सभी नागरिकों के लिये न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिये निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का दायित्व प्रदान करता है। निशुल्क कानूनी सहायता यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक नागरिक को न्याय और निष्पक्ष सुनवाई तक समान पहुँच मिले, चाहे उनकी आर्थिक या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो।

मुख्य भाग:

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12 के तहत सूचीबद्ध समाज के जिन वर्गों को निशुल्क विधिक सेवाएँ प्राप्त करने का अधिकार है, वे हैं:

- अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य।
- संविधान के अनुच्छेद 23 में उल्लिखित मानव तस्करी या बेगार (बलात् श्रम) का शिकार।
- एक महिला या एक बच्चा।
- मानसिक रूप से बीमार अथवा विकलांग व्यक्ति।
- किसी सामूहिक आपदा, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक आपदा का शिकार व्यक्ति।
- एक औद्योगिक कामगार।
- एक निश्चित राशि से कम वार्षिक आय वाला व्यक्ति निशुल्क कानूनी सेवाओं के लिये पात्र है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसके मामले की सुनवाई किस प्रकार की अदालत में हो रही है।

भारत में नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की भूमिका: पात्र व्यक्तियों को निशुल्क कानूनी सेवाएँ प्रदान करने और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिये लोक अदालतों का आयोजन करने के लिए कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) का गठन किया गया है।

- **NALSA की कुछ भूमिकाएँ और कार्य इस प्रकार हैं:**
  - अधिनियम के तहत कानूनी सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिये नीतियाँ और सिद्धांत निर्धारित करना।
  - कानूनी सेवाओं के लिये प्रभावी और कम खर्च वाली योजनाएँ तैयार करना।
  - अधिनियम के तहत कानूनी सेवाओं के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करना।
  - कानूनी जागरूकता कार्यक्रम संचालित करना और लोगों के बीच कानूनी साक्षरता को बढ़ावा देना।
  - बातचीत, मध्यस्थता और सुलह के माध्यम से विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करना।
  - कानूनी सेवाएँ प्रदान करने में लगी अन्य सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर समन्वय तथा सहयोग प्रदान करना।
- **NALSA ने भारत में नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है:**
  - देश भर में अपने पैनल वकीलों और पैरा-लीगल स्वयंसेवकों के माध्यम से लाखों लाभार्थियों को कानूनी सहायता प्रदान करना।
  - विभिन्न स्तरों पर हज़ारों लोक अदालतों का आयोजन कर लाखों मामलों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना।
  - **विभिन्न योजनाएँ और पहल शुरू करना जैसे:**
    - NALSA (मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएँ) विनियम, 2010।
    - NALSA (कानूनी सहायता क्लीनिक) विनियम, 2011।
    - NALSA (आदिवासी अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन) योजना, 2015।
    - NALSA (बच्चों और उनके संरक्षण के लिये बाल मैत्रीपूर्ण कानूनी सेवाएँ) योजना, 2015।

- NALSA (तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण के शिकार) योजना, 2015।

- सभी के लिये न्याय तक पहुँच जैसे विभिन्न विषयों पर राष्ट्रव्यापी अभियान और कार्यक्रम आयोजित करना तथा सेवाओं से जुड़ना।
- सभी के लिये न्याय तक पहुँच, समानता के साथ अपने राष्ट्र की सेवा से जुड़ना जैसे विभिन्न विषयों पर राष्ट्रव्यापी अभियान और कार्यक्रम आयोजित करना।
- कानूनी सेवाओं की पहुँच और गुणवत्ता बढ़ाने के लिये विभिन्न हितधारकों जैसे न्यायपालिका, बार एसोसिएशन, लॉ स्कूल, नागरिक समाज संगठन, मीडिया आदि के साथ सहयोग करना।

निष्कर्ष:

सभी नागरिकों, विशेषकर समाज के कमज़ोर वर्गों के लिये न्याय और निष्पक्ष सुनवाई तक समान पहुँच एवं निशुल्क कानूनी सहायता, नागरिकों का संवैधानिक अधिकार तथा राज्य का सामाजिक दायित्व है। NALSA भारत में कानूनी सहायता प्रदान करने, लोक अदालतों का आयोजन करने, कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने, विभिन्न योजनाओं एवं पहलों को शुरू करने आदि में निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हालाँकि भारत में मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने में NALSA के सामने कुछ चुनौतियाँ व सीमाएँ भी हैं, जिन्हें कानूनी सेवाओं के संसाधनों, गुणवत्ता, समन्वय, एकरूपता और निगरानी को बढ़ाकर संबोधित एवं दूर करने की आवश्यकता है।

Q5. भारत में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के पक्ष और विपक्ष में तर्कों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। ऐसे कदम के संवैधानिक और सामाजिक निहितार्थ क्या हैं? (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- विषय के संक्षिप्त परिचय और संदर्भ के साथ उत्तर दीजिये।
- समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के पक्ष और विपक्ष में तर्कों पर चर्चा कीजिये। साथ ही संवैधानिक एवं सामाजिक निहितार्थों पर भी चर्चा कीजिये।
- आगे की राह के संबंध में उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

भारत में समलैंगिक विवाह को वैध बनाना LGBTQ+ समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांग है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाले फैसले पारित करने से इनकार कर दिया, इसके लिये उसने संसद और राज्य विधानसभाओं को कानून बनाने का आदेश दिया।

मुख्य भाग:

भारत में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के पक्ष में तर्क:

- **समानता और मानवाधिकार:** भारत का संविधान सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान सुरक्षा की गारंटी देता है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी माना कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और गरिमा के अधिकार में यौन अभिविन्यास तथा पहचान का अधिकार भी शामिल है।
- **व्यक्तिगत स्वायत्तता और विकल्प:** हादिया केस तथा लता सिंह केस में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि जीवनसाथी चुनने का अधिकार मौलिक अधिकार है। इसलिये समान-लिंग वाले जोड़ों को कानूनी या सामाजिक प्रतिबंधों के अधीन हुए बिना अपना साथी चुनने एवं परिवार बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिये।
- **सामाजिक न्याय और समावेशन:** समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से समान-लिंग वाले जोड़ों को विषमलैंगिक जोड़ों के समान कानूनी अधिकार एवं लाभ मिलेंगे। इससे कलंक और भेदभाव कम होगा, जिससे अंतत: LGBTQIA+ समुदाय की भलाई और खुशहाली में वृद्धि होगी।

भारत में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के विपक्ष तर्क:

- **नैतिकता और धर्म:** भारत में कई धार्मिक और सांस्कृतिक समूहों का मानना है कि समलैंगिकता अप्राकृतिक या पाप है। उन्हें डर है कि समलैंगिक विवाह को अगर कानूनी मान्यता प्राप्त हो गई तो समलैंगिकता वैध हो जाएगी, जिससे संभावित रूप से पारंपरिक नैतिक मूल्यों तथा धार्मिक शिक्षाओं का क्षरण हो सकता है।
- **कानूनी जटिलताएँ:** विरोधियों का यह भी तर्क है कि समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के लिये मौजूदा कानूनों, नीतियों और सामाजिक संरचनाओं में महत्त्वपूर्ण बदलाव की आवश्यकता होगी जो वर्तमान में विषमलैंगिक विवाह पर आधारित हैं। इससे कार्यान्वयन में कानूनी जटिलताएँ तथा चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- **व्यावहारिकता एवं व्यवहार्यता:** यह भी तर्क दिया जाता है कि यदि कोई पुरुष स्वयं को महिला के रूप में पहचानने लगे तो कानून के समक्ष उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा।

भारत में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के संवैधानिक और सामाजिक निहितार्थ:

- **संवैधानिक निहितार्थ:** समलैंगिक विवाह को वैध बनाना एक संवैधानिक अधिकार और LGBTQ+ समुदाय की गरिमा और समानता को बनाए रखने का एक तरीका माना जा सकता है।
  - हालाँकि संविधान अनुच्छेद 25 के तहत धर्म की स्वतंत्रता भी देता है, जो विभिन्न धार्मिक समुदायों को विवाह, तलाक, विरासत आदि जैसे मामलों को नियंत्रित करने वाले अपने व्यक्तिगत कानून बनाने की अनुमति देता है।

- इसलिये भारत में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने में कुछ धार्मिक समूहों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है जो समलैंगिकता को पाप या अप्राकृतिक मानते हैं।

- **सामाजिक निहितार्थ:** भारत में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के महत्त्वपूर्ण एवं विविध सामाजिक निहितार्थ हैं। यह LGBTQ+ के प्रति हो रहे भेदभाव को कम कर सकता है और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार, समावेशन में वृद्धि तथा कानूनी अधिकार प्रदान कर सकता है।
  - हालाँकि यह प्रतिक्रिया को भी भड़का सकता है, संघर्ष पैदा कर सकता है और सांस्कृतिक मूल्यों को चुनौती दे सकता है, संभावित रूप से सामाजिक सद्भाव तथा विकास को प्रभावित कर सकता है।

निष्कर्ष:

भारत में समलैंगिक विवाह को वैध बनाना संवैधानिक और सामाजिक प्रभावों वाला एक जटिल मामला है। यह विचारशील विचार, सम्मानजनक संवाद तथा भारतीय संविधान में उल्लिखित लोकतांत्रिक, न्यायपूर्ण एवं गरिमापूर्ण सिद्धांतों पर आधारित निर्णय की मांग करता है।

Q6. भारत में ओबीसी के उप-वर्गीकरण की आवश्यकता और चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। इसका मौजूदा आरक्षण नीति और सामाजिक न्याय एजेंडे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- OBC और उप-वर्गीकरण को परिभाषित कीजिये। OBC के उप-वर्गीकरण के लिये संवैधानिक प्रावधानों तथा आयोग का उल्लेख कीजिये।
- भारत में OBC के उप-वर्गीकरण की आवश्यकता और चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। बताइये कि यह मौजूदा आरक्षण नीति तथा सामाजिक न्याय के एजेंडे को कैसे प्रभावित करेगा।
- मुख्य बिंदुओं को संक्षिप्त रूप में लिखिये और अपने सुझाव दीजिये।

परिचय:

वर्ष 1980 में मंडल आयोग की रिपोर्ट में OBC आबादी 52% होने का अनुमान लगाया गया था और इन समुदायों को पिछड़े वर्ग के रूप में पहचाना गया था। हालाँकि असमान सामाजिक-आर्थिक स्थिति के कारण आरक्षण का लाभ भी असमान हो गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के अनुसार, भारत का राष्ट्रपति सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं की जाँच करने के लिये तथा उनकी दशा में सुधार करने से संबंधित सिफारिश प्रदान के लिये एक आदेश के माध्यम से आयोग की नियुक्ति कर सकता है। वर्ष 2017 में न्यायसंगत प्रतिनिधित्व के लिये OBC के उप-वर्गीकरण की जाँच करने हेतु न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) जी. रोहिणी के नेतृत्व में पाँच सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था।

मुख्य भाग:

OBC के उप-वर्गीकरण की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न होती है:

- वर्ष 2018 में आयोग ने पिछले वर्षों में 1.3 लाख केंद्रीय सरकारी नौकरियों और केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों में OBC प्रवेश के डेटा का विश्लेषण किया था जिससे पता चला कि 97% लाभ केवल 25% OBC जातियों को मिला है। लगभग 983 OBC समुदायों (कुल का 37%) का नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में शून्य प्रतिनिधित्व था, जो उप-वर्गीकरण की आवश्यकता को उजागर करता है।
- यह सुनिश्चित करना कि आरक्षण का लाभ OBC के सबसे पिछड़े और हाशिये पर रहने वाले वर्गों जैसे कि गैर-अधिसूचित जनजातियों, खानाबदोश जनजातियों आदि तक पहुँचे।
- किसी भी दोहराव, अस्पष्टता, विसंगतियों और त्रुटियों को दूर करके OBC की केंद्रीय सूची को तर्कसंगत एवं सुव्यवस्थित करना।

OBC के उप-वर्गीकरण की चुनौतियाँ इस प्रकार हैं:

- विभिन्न OBC समुदायों की जनसंख्या और सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर विश्वसनीय तथा अद्यतन डेटा की कमी। सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) डेटा को आयोग द्वारा विश्वसनीय नहीं माना जाता है, जिसने अखिल भारतीय सर्वेक्षण का अनुरोध किया है।
- OBC के उप-वर्गीकरण के राजनीतिक और सामाजिक निहितार्थ। उप-वर्गीकरण आरक्षण के अपने हिस्से को लेकर विभिन्न OBC समुदायों के बीच विभाजन तथा संघर्ष पैदा कर सकता है।
- इसका उपयोग सत्तारूढ़ या विपक्षी दलों द्वारा कुछ वोट-बैंकों को खुश करने या अलग करने के लिये एक उपकरण के रूप में भी किया जा सकता है।

मौजूदा आरक्षण नीति और सामाजिक न्याय के एजेंडे पर OBC के उप-वर्गीकरण का प्रभाव:

- एक ओर, उप-वर्गीकरण यह सुनिश्चित करके सामाजिक न्याय के एजेंडे को बढ़ा सकता है कि OBC के सबसे पिछड़े और वंचित वर्गों को नौकरियों एवं शिक्षा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व तथा अवसर मिले।

- इससे कुछ उच्च जातियों के बीच नाराज़गी के कारण आंदोलन कमज़ोर हो सकता है, जो महसूस करते हैं कि आरक्षण का लाभ कुछ प्रमुख OBC समुदायों द्वारा हथिया लिया गया है।

- दूसरी ओर, उप-वर्गीकरण OBC के बीच और अधिक विखंडन तथा पदानुक्रम बनाकर मौजूदा आरक्षण नीति को कमज़ोर कर सकता है।
  - यह कुछ बड़े या अधिक आबादी वाले OBC समुदायों की हिस्सेदारी को कम करके आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को भी कमज़ोर कर सकता है।
  - यह समग्र रूप से OBC द्वारा सामना किये जाने वाले संरचनात्मक मुद्दों और प्रणालीगत भेदभाव से भी ध्यान भटका सकता है।

निष्कर्ष:

OBC का उप-वर्गीकरण एक जटिल और विवादास्पद मुद्दा है जिसके लिये संतुलित तथा समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। हालाँकि यह OBC के बीच अंतर-समूह असमानताओं के कुछ पहलुओं को संबोधित कर सकता है, यह आरक्षण नीति एवं सामाजिक न्याय के एजेंडे हेतु नई चुनौतियाँ व समस्याएँ भी पैदा कर सकता है। इसलिये किसी भी उप-वर्गीकरण योजना को लागू करने से पहले एक व्यापक और विश्वसनीय डेटाबेस, स्पष्ट तथा सुसंगत कानूनी ढाँचा और व्यापक एवं समावेशी परामर्श प्रक्रिया सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है।

Q7. सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में भारत की सकारात्मक नीतिगत कार्रवाईयों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करते हुए इससे संबंधित चुनौतियों एवं संभावित सुधारों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- उत्तर की शुरुआत भारत की सकारात्मक नीतिगत कार्रवाईयों के परिचय के साथ कीजिये।
- सामाजिक न्याय की भारत में सकारात्मक कार्रवाई नीतियों की प्रभावशीलता का वर्णन कीजिये।
- सकारात्मक कार्रवाई में आवश्यक निरंतर चुनौतियों और संभावित सुधारों का मूल्यांकन कीजिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

भारत में सकारात्मक कार्रवाई नीतियाँ ऐतिहासिक भेदभाव को दूर करने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिये लागू की गई हैं। शिक्षा एवं रोज़गार में आरक्षण सहित इन नीतियों का उद्देश्य अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) जैसे हाशिये पर रहने वाले समुदायों का उत्थान करना है।

- भारत में सकारात्मक कार्रवाई की बुनियाद संविधान में रखी गई है, जिसमें अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) जैसे प्रावधान हैं, जो शैक्षणिक संस्थानों एवं सरकारी नौकरियों में आरक्षण की अनुमति देते हैं। वर्ष 1980 में मंडल आयोग की रिपोर्ट ने जाति-आधारित असमानताओं को दूर करने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए OBC को शामिल करने के लिये आरक्षण का और विस्तार किया।

मुख्य भाग:

सकारात्मक कार्रवाई नीतियों की प्रभावशीलता:

1. सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण:

- सकारात्मक कार्रवाई से शिक्षा और रोज़गार में हाशिये पर रहने वाले समुदायों का प्रतिनिधित्व बढ़ा है।
- 01.01.2016 तक केंद्र सरकार के अधीन पदों और सेवाओं में SC, ST एवं OBC का प्रतिनिधित्व बढ़कर क्रमश: 17.49%, 8.47% तथा 21.57% हो गया।

2. राजनीतिक प्रतिनिधित्व:

- सकारात्मक कार्रवाई ने राजनीतिक सशक्तीकरण की सुविधा प्रदान की है, विधायिकाओं में आरक्षित सीटों से हाशिये पर रहने वाले समूहों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुआ है।
- उदाहरण के लिये अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का उद्देश्य हाशिये पर रहने वाले समुदायों को भेदभाव और हिंसा से बचाना है।

3. शैक्षिक अवसर:

- आरक्षण नीतियों ने हाशिये पर रहने वाले समुदायों के लिये शिक्षा तक पहुँच बढ़ा दी है, जिससे उनकी सामाजिक गतिशीलता में योगदान हुआ है।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन ने वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के लिये मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करके इस उद्देश्य को आगे बढ़ाया है।

चुनौतियाँ:

1. क्रीमीलेयर और एलीट कैप्चर:

- क्रीमीलेयर की अवधारणा की आलोचना इस बात के लिये की गई है कि आरक्षित श्रेणियों के समृद्ध व्यक्तियों को लाभ मिलता है, जिससे वास्तव में हाशिये पर रहने वाले लोग नुकसान में रह जाते हैं।
- अभिजात्य वर्ग का कब्ज़ा आरक्षित श्रेणियों के भीतर राजनीतिक और आर्थिक रूप से शक्तिशाली व्यक्तियों के प्रभुत्व को संदर्भित करता है, जो सबसे हाशिये पर रहने वाले लोगों तक लाभ सीमित करता है।

2. गुणवत्ता बनाम मात्रा पर बहस:

- आलोचकों का तर्क है कि आरक्षण योग्यता और गुणवत्ता से समझौता करता है, जिससे शैक्षणिक एवं व्यावसायिक संस्थानों में अक्षमताएँ उत्पन्न होती हैं।
- शैक्षिक योग्यता और नौकरी की आवश्यकताओं के बीच बेमेल चिंता का विषय रहा है, जो सकारात्मक कार्रवाई की प्रभावशीलता को प्रभावित कर रहा है।

3. सामाजिक कलंक और भेदभाव:

- आरक्षण के बावजूद, हाशिये पर रहने वाले समुदायों को सामाजिक कलंक और भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनका समग्र विकास बाधित हो रहा है।
- रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों का कायम रहना हाशिये पर रहने वाले समुदायों के समाज में एकीकरण के लिये चुनौतियाँ उत्पन्न करता है।

4. विरोध और प्रतिक्रिया:

- प्राय: प्रमुख समूहों की ओर से विरोध होता है जो इन नीतियों को अनुचित मानते हैं, जिससे सामाजिक तनाव और संघर्ष होते हैं।

संभावित सुधार:

1. कार्यान्वयन तंत्र को सुदृढ़ बनाना:

- सकारात्मक कार्रवाई नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये निगरानी और मूल्यांकन तंत्र को बढ़ाना।
- उल्लंघनों को रोकने के लिये आरक्षण मानदंडों का अनुपालन न करने पर सख्त दंड लागू करना।

2. क्रीमी लेयर और एलीट कैप्चर को संबोधित करना:

- लाभार्थियों की पहचान करने के लिये आय मानदंड पेश करना, यह सुनिश्चित करना कि आरक्षण से आरक्षित श्रेणियों के भीतर आर्थिक रूप से वंचित लोगों को लाभ हो।
- कुलीन वर्ग के कब्ज़े को रोकने और लाभों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिये चयन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा देना।

3. सामाजिक समावेशन और जागरूकता को बढ़ावा देना:

- सामाजिक समावेशन के महत्त्व और भेदभाव के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु अभियान शुरू करना।
- विभिन्न समुदायों के बीच संवाद और समझ को बढ़ावा देने, समावेशिता की संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु कार्यक्रम लागू करना।

4. सामाजिक-शैक्षणिक सूचकांक:

- एकाधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण, जो व्यक्तियों की जाति के अतिरिक्त उनकी सामाजिक-शैक्षिक स्थिति पर विचार करता है साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक समूह के सबसे हाशिये पर रहने वाले लोगों को लाभ मिले।

5. लाभार्थियों का विविधीकरण:

- सकारात्मक कार्रवाई नीतियों में धार्मिक अल्पसंख्यकों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों एवं विकलांगों जैसे अन्य हाशिये पर रहने वाले समूहों को शामिल करने से उन्हें और अधिक समावेशी बनाया जा सकता है।

निष्कर्ष:

भारत में सकारात्मक कार्रवाई नीतियों ने सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालाँकि क्रीमीलेयर मुद्दे, गुणवत्ता संबंधी चिंताएँ और सामाजिक कलंक जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। सकारात्मक कार्रवाई नीतियों की प्रभावशीलता को बढ़ाने और सभी के लिये सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के उनके लक्ष्य को साकार करने के लिये कार्यान्वयन को मज़बूत करने, अभिजात वर्ग के कब्ज़े को संबोधित करने एवं सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने वाले सुधारों के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है।